

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर०ए०एस०)
प्रकरण संख्या - 1019/2024

अनवान : -

1. अमित कुमार पुत्र नत्थूराम जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर ।

- वादी

बनाम्

1. नत्थूराम पुत्र धनाराम जाति जाट निवासी लाखलाण हाल-देईदास तहसील नोहर ।
2. लक्ष्मी पुत्री नत्थूराम जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर ।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88-89 ,राजस्थान काश्त०
अधि० 1955

उपस्थिति :- श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय

दिनांक: 28/10/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि वादी एवं प्रतिवादीगण की दादा लाई खातेदारी कृषि भूमि रोही मौजा देईदास तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2071-2074 के खाता संख्या 24/20 के खसरा नं. 173 की कुल 5.9190 है० भूमि में से 1/4 हिस्सा एवं खाता संख्या 25/21 के कुल खसरे 4 की कुल तादादी 12.5840 है० भूमि में से 1/4 हिस्सा एवं खाता संख्या 110/110 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 3.5790 है० भूमि में से 8473/35790 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

प्रतिवादीया संख्या 2 जो कि वादी की बहिन है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह परिवार के मौजिज व्यक्तियों के सामने अपने पिता व भाई के पक्ष में परित्याग कर चुकी है इस प्रकार प्रतिवादीया संख्या 2 का उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा शेष नहीं बचा है बाद हक त्याग मुताबिक समझौता रोही मौजा देईदास तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2071-2074 के खाता संख्या 24/20 के खसरा नं. 173 की कुल 5.9190 है० भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि में वादी काबिज है एवं खाता संख्या 25/21 के कुल खसरे 4 की कुल तादादी 12.5840 है० भूमि में से 1/4 हिस्सा एवं खाता संख्या 110/110 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 3.5790 है० भूमि में से 8473/35790 हिस्सा भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 यथावत काबिज है। वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई दफा कहा कि वह वादी के हक हिस्सा को स्वीकार कर लेवे तथा रोही मौजा देईदास तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2071-2074 के खाता संख्या 24/20 के खसरा नं. 173 की कुल 5.9190 है० भूमि में से 1/4 हिस्सा मे प्रतिवादी संख्या 1 अपना नाम कलमजन करवाकर वादी को बतौर खातेदार काश्तकर करवा दे तथा खाता संख्या 25/21 के कुल खसरे 4 की कुल तादादी 12.5840 है० भूमि में से 1/4 हिस्सा एवं खाता संख्या 110/110 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 3.5790 है० भूमि में से

अ. ग. अधिकारी
नोहर

8473/35790 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 अपने नाम प्रतिवादीया संख्या 2 जो कि वादी की बहिन है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह परिवार के मौजिज व्यक्तियों के सामने अपने पिता व भाई के पक्ष में परित्याग कर चुकी है इस प्रकार प्रतिवादीया संख्या 2 का उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा शेष नहीं बचा है बाद हक त्याग मुताबिक समझौता रोही मौजा देईदास तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2071-2074 के खाता संख्या 24/20 के खसरा नं. 173 की कुल 5.9190 है0 भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि में वादी काबिज है एवं खाता संख्या 25/21 के कुल खसरे 4 की कुल तादादी 12.5840 है0 भूमि में से 1/4 हिस्सा एवं खाता संख्या 110/110 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 3.5790 है0 भूमि में से 8473/35790 हिस्सा भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 यथावत काबिज है। वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। यही विनाय दावा है।


वादी ने प्रतिवादी सं0 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 2 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 को कोई ऐतराज नहीं है। प्रतिवादी संख्या 3 परोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम व पुरानी जमाबंदी, शपथ पत्र बाबत सदस्य आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान में वादी के पिता के नाम दर्ज है उक्त वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जन्म से हक हिस्सा है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई ऐतराज नहीं है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।



उपस्थित अधिकारी
नोहर

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा देईदास तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2071-2074 के खाता संख्या 24/20 के खसरा नं. 173 की कुल 5.9190 है० भूमि में से 1/4 हिस्सा एवं खाता संख्या 25/21 के कुल खसरे 4 की कुल तादादी 12.5840 है० भूमि में से 1/4 हिस्सा एवं खाता संख्या 110/110 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 3.5790 है० भूमि में से 8473/35790 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से उक्त वाद भूमि पैतृक भूमि होना साबित है तथा उभयपक्ष ने भी उक्त वाद भूमि हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक कृषि भूमि होना जाहिर किया है। वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं सजरा खानदान के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 के अन्य कोई वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा देईदास तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2071-2074 के खाता संख्या 24/20 के खसरा नं. 173 की कुल 5.9190 है० भूमि में से 1/4 हिस्सा मे प्रतिवादी संख्या 1 नत्थूराम पुत्र धना का नाम कलमजन किया जाकर वादी को बतौर खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है तथा खाता संख्या 25/21 के कुल खसरे 4 की कुल तादादी 12.5840 है० भूमि में से 1/4 हिस्सा एवं खाता संख्या 110/110 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 3.5790 है० भूमि में से 8473/35790 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28/10/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्या - 1019/2024

अनवान : -

1. अमित कुमार पुत्र नत्थूराम जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर ।

- वादी

बनाम्

1. नत्थूराम पुत्र धनाराम जाति जाट निवासी लाखलाण हाल-देईदास तहसील नोहर ।
2. लक्ष्मी पुत्री नत्थूराम जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर ।


- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 1019 सन 2024 निर्णय दिनांक 28/10/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा देईदास तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2071-2074 के खाता संख्या 24/20 के खसरा नं. 173 की कुल 5.9190 है0 भूमि में से 1/4 हिस्सा मे प्रतिवादी संख्या 1 नत्थूराम पुत्र धना का नाम कलमजन किया जाकर वादी को बतौर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा खाता संख्या 25/21 के कुल खसरे 4 की कुल तादादी 12.5840 है0 भूमि में से 1/4 हिस्सा एवं खाता संख्या 110/110 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 3.5790 है0 भूमि में से 8473/35790 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 28/10/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर